

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 78 / 2016 श्री मानजी बनाम श्री कमजी

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-02-2018	<p>अपील अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दिनांक 07-06-2016 प्रकरण संख्या 62 / 2012 वाद</p> <p>-----</p> <p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की सुनी गई बहस, पत्रावली के रेकॉर्ड व अपील में का अध्ययन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रस्तुत पत्रावली में वादी अपीलान्ट के वाद दर्ज होने के बाद प्रतिवादी संख्या-1 से 8 का जवाबदावा रेकॉर्ड पर उपलब्ध है। वस्तुतः वादी का वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2004 के अन्तर्गत पक्षकारान के मध्य तहसीलदार द्वारा दिनांक 21-12-2004 को विभाजन आदेश गलत पारित किया गया। अतएव उक्त विभाजन को निरस्त किया जाय।</p> <p>धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार तहसीलदार द्वारा जारी डिक्री की अपील जिला कलक्टर को होती है। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार द्वारा विभाजन आदेश पारित किया जा चुका है, तो उसके लिए नया घोषणात्मक एवं विभाजन वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपितु उसकी अपील जिला कलक्टर के यहां की जानी चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वाद का निस्तारण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 7-6-2016 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट वादी सक्षम न्यायालय में तहसीलदार के विभाजन आदेश के विरुद्ध चाराजोही करने को स्वतन्त्र है।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 78/2016 श्री मानजी बनाम श्री कमजी

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 78/2016 श्री मानजी बनाम श्री कमजी

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 78/2016 श्री मानजी बनाम श्री कमजी

--	--	--

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
श्री कालूलाल नादा निवासी कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल उदयपुर (राज0)
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने अन्य 10 व सरकार
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 78/2016 श्री मानजी बनाम श्री कमजी

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य-6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्ष.....08.....
माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्ट वश्री
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि प्रकरण में
वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंगX.... रुपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।